श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर के आयोजन हेतु उपायुक्त कार्यालय स्थित नाहन में दिनांक 20 जुलाई 2026 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित बैठक की कार्यवाही

दिनांक 20 जुलाई2026 को मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर की बैठक श्रीमति प्रियंका वर्मा,भा.प्र.से. की अध्यक्षता मे प्रातः 11:00बजे बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मन्दिर न्यास के कुल 25 न्यासियों में से 21 न्यासी उपस्थित रहे, अतः हि.प्र.हिन्दू सार्वजनिक संस्थान एवम् पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 के नियम 18(6)अनुसार वांछित दो तिहाई कोरम पूरा रहा।बैठक में विशेष अतिथि के रुप माननीय विधायक महोदय श्री अजय सोलंकी व एस.पी.सी.ए. की ओर से डा0 नीरू शबनम उपस्थित रहे । उपस्थित न्यासियों की सूची संलग्न है।बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार प्रारम्भ की गई–

सर्वप्रथम श्री राजीव कुमार(हि.प्र.से.) एस.डी.एम.नाहन एवम् सयुंक्त आयुक्त द्वारा सभी अधिकारियो तथा न्यासियों का अभिनन्दन किया गया. तथा अध्यक्ष महोदया की स्वीकृति उपरान्त निम्नानुसार बैठक की कार्यवाही मदवार प्रारम्भ की गई–

क्रम संख्या	मद	विवरण	अनुपालना
1	**दिनांक 08–01–2026 की बैठक की समीक्षा**	संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा अवगत करवाया गया कि दिनांक 08–01–2026 को आयोजित बैठक की कार्यवाही समस्त सदस्यों को भिजवा दी गई थी। उक्त बैठक की अधिकतर मदों पर कार्यवाही की जा चुकी है तथा जिन मदों पर कार्यवाही लम्बित है उन पर चर्चा की जानी है अतः पुनः शामिल किया गया है।	———
2	**मन्दिर न्यास की 31 दिसम्बर 2025 तक की आय व्यय स्थिति**	संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा सूचित किया गया कि गत वित्त वर्ष 2025–26 में कुल प्राप्तियॉ 17 करोड़ 17 लाख 91 हजार 207 रु रही है व भुगतान 15 करोड़ 37 लाख 88 हजार 484 रु के रहा है।इसमें वर्ष के दौरान हिमुडा से फरवरी 2023 में क्रय की गई भूमि की देय राशि के 3 करोड़ 8 लाख रु शामिल हैं।यह भी अवगत करवाया गया कि उपरोक्त आय–व्यय की विस्तृत प्रतियॉ समस्त न्यासियों को उपलब्ध करवाई गई है जिसका चार्टड अकाउटेंट से आडिट कार्य प्रगति पर है। आडिट रिर्पोट प्राप्ति उपरान्त आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।	सहायक नियन्त्रक वित्त एवम् लेखा तथा सहायक प्रबन्धक,लेखा

Joint Commissioner cum SDM Nahan

Joint Commissioner (Temple).
cum-SDM Nahan (H.P.)

3	**वर्तमान वित्त वर्ष 2026–27 का बजट**	संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा अवगत करवाया गया कि गत बैठक में निर्णयानुसार वर्तमान वित्त वर्ष 2026–27 का बजट गत वर्ष के आय–व्यय के आधार पर मु. 23 करोड़ रु राशि का तैयार किया गया था। उक्त बजट तैयार हि.प्र.हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम् पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 के नियम 22 में निर्देशानुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा न्यास के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। यह भी सूचित किया गया कि गत वर्ष तीन नवरात्र मेले एक ही वर्ष में आ जाने के कारण वर्तमान वित्त वर्ष में आय सम्भवतः कम रहेगी, अतः गत वर्ष की तुलना में न्यास की प्राप्तियॉ 15 करोड़ 40 लाख रु की सम्भावना है व प्रारम्भिक बैंक राशि 7 करोड़ 60 लाख रु सहित 23 करोड़ की का बजट रखा गया है। उक्त मद पर चर्चा उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया व निर्देश दिए गए कि बजट की एक प्रति समस्त न्यासियों को उपलब्ध करवाई जाए व सुनिश्चित किए जाए कि वर्षभर में जितने भी व्यय हों वह बजट की परिधि में वित्त की उपलब्धतता अनुसार ही हों।	सहायक नियन्त्रक वित्त एवम् लेखा तथा सहायक प्रबन्धक,लेखा
4	**मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर कर्मचारी नियमावली 2003 बारे**	संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा अवगत करवाया गया कि हि.प्र. हिन्दु सार्वजनिक संस्थान एवम् पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 में वर्ष 2007 व 2018 में संशोधन अनुसार भर्ती एवम् पदोन्निति नियमों हेतु मुख्य आयुक्त मन्दिर द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। दिनांक 08 जुलाई 2026 को उनसे प्राप्त पत्रानुसार पुराने श्री महामाया बालासुन्दरी कर्मचारी सेवा उप–नियम 2003 को निरस्त कर कर्मचारी सेवा उप–नियम 2026 का सशर्त कुछ शर्तों पर अनुमोदन दिया गया है। मुख्य आयुक्त मन्दिर से प्राप्त निर्देशानुसार न्यास के कर्मचारियों पर सीधे तौर पर हि.प्र.राज्य सरकार के नियम आदि लागू नही होंगें अपितु कोई भी नियम न्यास की बैठक में अनुमोदन उपरान्त माननीय आयुक्त मन्दिर के माध्यम से अन्तिम अनुमोदन के लिए मुख्य आयुक्त मन्दिर को भेजा जाना है । इस बारे विस्तार से चर्चा की गई व अवगत करवाया	मन्दिर अधिकारी सहायक नियन्त्रक (वित्त एवम् लेखा)

Joint Commissioner cum SDM Nahan

Joint Commissioner (Temple).
cum-SDM Nahan (H.P.)

		गया कि संशोधित नियमों में पुजारी, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी व अन्य सभी श्रेणियों के अतिरिक्त पदों का प्रावधान रखा गया है। प्रस्तावित किया गया कि यदि न्यास की सहमति हो तो उक्त नियमों को मुख्य आयुक्त मन्दिर को भेजने के लिए आयुक्त मन्दिर को प्राधिकृत किया जाए। उक्त मद पर गैर सरकारी न्यासी श्री सुरेश कुमार तथा माननीय विधायक महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि संशोधित नियमों में करुणामूलक आधार पर नियुक्ति हेतु 10 प्रतिशत प्रावधान रखा जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि अनुमोदित नियमों अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु मामला आयुक्त महोदया के माध्यम से मुख्य आयुक्त मन्दिर को भिजवाया जाए। गैर सरकारी न्यासी श्री राजेश गुप्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि मन्दिर न्यास के कर्मचारियों पर आदेशों की अवमानना पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए चुंकि गत माह उनकी गणना कक्ष में उपस्थिति के दौरान लिपिक द्वारा सहायक अभियंता एवम् प्रभारी के आदेश नही माने गए जोकि खेदजनक विषय है। विस्तृत चर्चा उपरान्त न्यास द्वारा नियमों के संशोधन और मुख्य आयुक्त मन्दिर को प्रेषण हेतु आयुक्त, मन्दिर एवं उपायुक्त सिरमौर को अधिकृत किया गया व रिक्त पदों को भरने की प्रस्तावना/भर्ती प्रक्रिया के अनुमोदन हेतु मामला मुख्य आयुक्त, मन्दिर को भेजने हेतु भी आयुक्त को मन्दिर न्यास की तरफ से अधिकृत किया गया ।	
5	**नगदी गणना हेतु मानक संचालन प्रकिया**	बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवगत करवाया गया कि सचिव भाषा एवम् संस्कृति विभाग शिमला से राज्य सरकार के स्वामित्व वाले प्रबन्धित मन्दिरों तथा अन्य मन्दिरों में सुरक्षा ,पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए दिनांक 10 जुलाई 2026 द्वारा सलाह / निर्देश प्राप्त हुए हैं जिन्हे यथावत लागू किया जा रहा है।	

Joint Commissioner cum SDM Nahan

Joint Commissioner (Temple).
cum-SDM Nahan (H.P.)

		उक्त मद पर संयुक्त आयुक्त द्वारा सूचित किया गया कि सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों को शामिल कर नगदी गणना हेतु विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर ली गई है जिसकी प्रतियॉं समस्त न्यासियों को उपलब्ध करवा दी गई हैं। श्री सुरेश कुमार , गैर सरकारी न्यासी के द्वारा सप्ताह में तीन बार गणना के सुझाव अनुसार सूचित किया गया विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) सहित आयुक्त महोदया की ओर से स्थायी आदेश जारी किए जा रहे हैं जिसमें अलग–2 कर्मचारियों की रोस्टर अनुसार डियुटि सुनिश्चित होगी साथ ही सभी कर्मचारी बिना जेब की विशेष वर्दी सहित निर्धारित नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करेंगें। इसके अतिरिक्त रसीदी दान काउण्टर पर भी छः माह से अधिक कोई भी कर्मचारी तैनात नही रहेगा व श्रद्धालुओं को डिजिटल दान हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। चढ़ावे में आने वाले छत्रों आदि के लिए विशेष दान पात्र स्थापित करवा दिया गया है परन्तु बढ़े आकार के छत्र आदि को रखने के लिए मुख्य मन्दिर में एक चेस्ट रखी जाएगी जिसकी मौका पर तैनात पुजारियों द्वारा वजन तोल कर रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी जो गणना दिवस को गणना कक्ष में पहुॅंचाया जाएगा। प्रत्येक बिन्दु पर हाई रिजोल्युशन के सी.सी.टी.वी. कैमरे रखने का प्रावधान भी रखा गया है। उक्त मद पर चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा एस.ओ.पी. एक प्रति समस्त न्यासियों व कर्मचारियों की अनुपालना हेतु देने के निर्देश भी दिए गए।	
6	स्वर्ण सामग्री को स्टेट बैंक के पास गोल्ड मोनिटाईजेशन स्कीम के तहत रखने हेतु :	अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया गया कि हि.प्र. हिन्दु सार्वजनिक संस्थान एवम् पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 में वर्ष 2010 व 2011 में संशोधन अनुसार स्वर्ण के प्रयोग हेतु निम्नानुसार प्रावधान है: 1. 10 प्रतिशत स्वर्ण मन्दिर के कार्य में प्रयोग किया जा सकता है 2. 20 प्रतिशत स्वर्ण गोल्ड बाण्ड स्कीम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पास निवेशित किया जा सकता है जिस हेतु मामला प्रगति पर है व विभाग से समिति का अनुमोदन प्राप्त होना शेष है।	सहायक नियन्त्रक (वि0 एवं लेखा) तथा मन्दिर अधिकारी

Joint Commissioner cum SDM Nahan

Joint Commissioner (Temple) cum-SDM Nahan (H.P.)

		3. 20प्रतिशत स्वर्ण न्यास के पास आरक्षित रखने का प्रावधान 4. 50प्रतिशत स्वर्ण को स्वर्ण बिस्किट व सिक्कों में परिवर्तित कर श्रद्धालुओं को बाजार दरों पर विक्रय का प्रावधान है। उक्त मद पर चर्चा के दौरान माननीय विधायक महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि उपरोक्त प्रावधानों की अनुपालना हेतु मामला विभाग को भिजवाया जाए। उक्त मद पर सर्वसम्मति से अनुमोदन सहित निर्देश दिए गए कि मुख्य आयुक्त को आयुक्त के माध्यम से अनुरोध किया जाए।जैसे ही विभाग से अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाए।	
7	त्रिलोकपुर में एक नवीन गौशाला निर्माण बारे	संयुक्त आयुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके द्वारा मन्दिर अधिकारी, सहायक अभियंता व गैर सरकारी न्यासी श्री धीरज कुमार व श्री सुरेश कुमार सहित विशाल गौशाला स्थित करनाल ,हरियाणा का दौरा किया गया था। उक्त गौशाला की तर्ज पर त्रिलोकपुर में नवीन गौशाला का निर्माण किया जाना है। सहायक अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि दानी सज्जन द्वारा निःशुल्क सेवाओं के माध्यम से नवीन गौशाला के लिए ड्राईंग डिजाईन प्राप्त होने शेष है किन्तु कई माह हो चुके हैं। चर्चा के दौरान माननीय विधांयक महोदय द्वारा परामर्श दिया गया कि यदि उक्त ड्राईंग डिजाईन एक सप्ताह के भीतर नही प्राप्त होते तो निजि स्त्रोत से कार्य आउटसोर्स कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाए। उक्त मद पर सर्वसम्मति से अनुमोदन सहित मु.दो लाख रु के व्यय का प्रावधान रखा जाए ताकि यह कार्य शीघ्र अति शीघ्र माननीय मुख्य आयुक्त मन्दिर से अन्तिम अनुमोदन के लिए भिजवाया जा सके। संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा यह भी प्रस्तावित किया गया कि नई गौशाला के संचालन हेतु एक समिति का गठन प्रस्तावित है जिसमें आजीवन सदस्यता हेतु सवा तीन लाख रूपये प्रति सदस्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है यह भी	मन्दिर अधिकारी सहायक अभियंता

Joint Commissioner cum SDM Nahan

Joint Commissioner (Temple) cum-SDM Nahan (H.P.)

		विचार किया गया कि ऐसे दानी सज्जनों का नाम गऊशाला में स्थापित किए जाने वाले "Honour Board" में भी अंकित किया जाये। उपरोक्त गौशाला समिति में निर्णयों का अधिकार कार्यकारी न्यासी सदस्यों (Executive Body)के पास ही सुरक्षित रखा जाए। उक्त समिति गौशाला के संचालन से सम्बन्धित समस्त वित्तीय व प्रबन्धन मामलों हेतु सहायक होगी। जो सदस्य साम्रगी के रुप में उपरोक्त के राशि के बराबर सहयोग करता है उसे भी आजीवन सदस्यता मिलेगी। उक्त मद बारे विस्तृत चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि कानूनी राय लेकर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कमेटी न्यास के अधीन रहे और मन्दिर व गौशाला में किसी भी बडे कार्य के निर्णय में उनकी कोई दखलअन्दाजी न हो। आयुक्त महोदय ने सुझाव दिया कि ऐसे व्यक्तियों को प्रस्तावित गौशाला की समिति/कमेटी का Honourary Member बनाया जा सकता है । कानूनी राय लेने के उपरान्त अन्तिम निर्णय लेने हेतु आयुक्त मन्दिर को अधिकृत किया गया ।	
8	एस.पी.सी.ए. गौशाला नाहन के कर्मचारियों का मामला	संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा अवगत करवाया गया कि नाहन स्थित एस.पी.सी.ए. के माध्यम से संचालित गौशाला के कर्मचारियों द्वारा न्यायालय में मामला दायर किया गया है जिसमें उनके द्वारा याचिका दायर की गई कि उन्हे मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर के कर्मचारियों में शामिल कर नियमित किया जाए व समस्त लाभ दिए जाएं। इस बारे यह भी सूचित किया गया कि वर्ष 2006 में स्थापित उक्त एस.पी.सी.ए. द्वारा स्थापित गौशाला को सहयोग एवम् सुचारु रुप से संचालन के लिए मन्दिर न्यास के साथ एग्रीमेंट किया गया था जिसमें वर्तमान में 75000रु प्रतिमाह राशि केवल गौशाला के रखरखाव के लिए सहयोग राशि दी जा रही है व एग्रीमेंट में स्पष्ट प्रावधान रखा गया है कि एस.पी.सी.ए. द्वारा रखे गए कर्मचारियों के प्रति मन्दिर न्यास का कोई दायित्व नही होगा।	मन्दिर अधिकारी

Joint Commissioner (Temple).
cum-SDM Nahan (H.P.)

		उक्त मद बारे माननीय विधायक महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि नई गौशाला के संचालन के लिए जब स्टॉफ की भर्ती की जाएगी उस समय उपरोक्त कर्मचारियों को उनके अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जा सकती है। चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्तमान में एस.पी.सी.ए. के कर्मचारियों का मन्दिर न्यास को कोई दायित्व नही है अतः उपरोक्त प्रकरण के जवाब में माननीय उच्च न्यायलय के संज्ञान में लाया जाए कि मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर द्वारा केवल एग्रीमेंट के अनुसार उक्त गौशाला के कर्मचारियों का पूर्ण दायित्व एस.पी.सी.ए. का ही बनता है।	
9	**मन्दिर न्यास में बाहरी स्त्रो से रखे जाने वाले कर्मचारि बारे।**	प्रस्तावित किया गया कि मन्दिर न्यास से सेवानिवृत किसी भी कर्मचारी को आउटसोर्स व अन्य माध्यम से नियुक्त न किया जाए। यदि किसी मामले में आवश्यक्ता होती है तो न्यास के अनुमोदन के बाद मुख्य आयुक्त मन्दिर से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही आर्थिक क्षमता के आधार पर रखा जाए। उक्त मद बारे गैर सरकारी न्यासी श्री सुरेश कुमार सहित अन्य गैर सरकारी न्यासियों के द्वारा अनुरोध किया गया कि न्यास में युवा बेरोजगारों को भी अवसर दिया जाना चाहिए। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भविष्य में मन्दिर न्यास से सेवानिवृत किसी भी कर्मचारी को आउटसोर्स व अन्य माध्यम से नियुक्त न किया जाए।	मन्दिंर अधिकारी
10	**नाहन स्थित मियां मन्दिर श्री परशुराम मन्दिर के जीर्णोद्धार बारे।**	बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवगत करवाया गया कि तहसीलदार नाहन द्वारा नाहन स्थित मियां मन्दिर (श्री परशुराम मन्दिर)में अति आवश्यक मुरम्मत व जीर्णोद्धार कार्य करवाने के अनुरोध सहित पत्र प्राप्त हुआ है। यदि सहमति हो तो मन्दिर न्यास के सहायक अभियंता के माध्यम से करवाया जाना प्रस्तावित किया गया।	मन्दिर अधिकारी तथा सहायक अभियन्ता

Joint Commissioner cum SDM Nahan

Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan (H.P.)

		उक्त मद बारे माननीय विधायक महोदय व गैर सरकारी न्यासियों के सुझाव अनुसार निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मन्दिर जोकि नाहन में सबसे प्राचीन मन्दिर सरकार के अधीन है का सम्पूर्ण जीर्णोद्धार किया जाए जिसे न्यास द्वारा अनुमोदित किया गया।	
11	**यात्री निवास तथा स्टॉफ व अन्य भवनों का रखरखाव**	सहायक अभियंता ,मन्दिर न्यास द्वारा सूचित किया गया कि यात्री निवास ,स्टॉफ क्वार्टर ,संग्राहलय व अन्य भवनों में अति आवश्यक मुरम्मत व रखरखाव कार्य आवश्यक है। इस मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि सहायक अभियंता मन्दिर न्यास मौका पर तुरन्त आवश्यक कार्यों का प्राकलन तैयार करें तथा माननीय विधायक महोदय के परामर्श अनुसार यात्री निवास के कुछ कक्षों को पुनः सुसज्जित करने,नई एल.ई.डी. स्क्रीन, फर्नीचर की मुरम्मत सहित पी.वी.सी. पैनलिंग आदि कार्य शामिल किया जाए। यह भी निर्देश दिए गए कि यात्री निवास में उपलब्ध कक्षों के प्रचार के लिए कालाअम्ब में बोर्ड भी प्रदर्शित किए जाएं।	सहायक अभियंता
12	**वर्षा के दौरान व फुटकर कार्यों तथा आपदा प्रबन्धन हेतु जे.सी.बी.किराए पर लेने बारे।**	संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बरसात के दौरान फुटकर कार्यों व आपदा प्रबन्धन हेतु जे.सी.बी.किराए पर लेने हेतु सहायक अभियंता न्यास को प्राधिकृत किया जाए।	सहायक अभियंता
13	**गैर सरकारी न्यासियों श्री धीरज कुमार, श्री दलबीर सिंह ,श्री सुरेश कुमार तथा प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित मामले**	1. गणना कक्ष को शिफ्ट करने बारे– चर्चा उपरान्त सहायक अभियंता न्यास को निर्देश दिए गए कि गैर सरकारी न्यासियों के साथ मौका निरीक्षण कर मामला संयुक्त आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। 2. न्यास द्वारा हिमुडा से 17 करोड़ रु मुल्य से क्रय की गई 86.8 बीघ भूमि को एल.ए.सी विभाग से वापिस माता बालासुन्दरी न्यास के नाम राजस्व अभिलेख में हस्तांतरण करवाने बारे चर्चा के दौरान सूचित किया गया कि उक्त पंजीकरण में लगभग लगभग 1 करोड़ 36 लाख रु लगेंगें। उक्त मद बारे माननीय विधायक महोदय सहित गैर सरकारी	मन्दिर अधिकारी

Joint Commissioner cum SDM Nahan

Joint Commissioner (Temple) cum-SDM Nahan (H.P.)

		न्यासियों के द्वारा जोर दिया गया कि भविष्य में ऋण आदि के लिए आवश्यक्ता के दृष्टिगत इसे श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर के नाम करवाया जाए। चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में कानूनी राय लेकर पुनः न्यास के समक्ष प्रस्तुत किया जाये । 3. मुख्य मन्दिर में पुजा करवाने के लिए श्री बुटिनाथ व श्री महेश शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है।उनके द्वारा सूचित किया गया है कि उनका मेहता परिवार से सम्बन्ध है जो पुश्त दर पुश्त मन्दिर में पूजा करवाते थे व सरकारी नौकरी में बाहर जाने के कारण यह कार्य नहीं कर पा रहे थे। चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि गैर सरकारी न्यासियों सहित श्री राजेश गुप्ता व मेहता परिवार के बैठक उपरान्त मन्दिर अधिकारी के माध्यम से मामला प्रंस्तुत किया जाए ताकि न्यास की आगामी बैठक में यथोचित निर्णय लिया जा सके। 4. त्रिलोकपुर स्थित पुलिस चौंकी का किराया प्राप्त न होने बारे सूचित किया गया। बैठक में उपस्थित एस.पी.महोदय की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि डियुटि मैजि0 कक्ष में वर्षा के कारण रिहाईश बार–2 प्रभावित हुई है व पुलिस कर्मियों को न्यास के यात्री भवन में रहना पड़ता है। यह भी सूचित किया गया कि नवम्बर 2025 से किराए का अनुमोदन उन्के विभाग से प्राप्त हो गया था किन्तु बजट के अभाव में भुगतान नही हो सका। उक्त मद पर चर्चा उपरान्त संयुक्त आयुक्त मन्दिर को अनुरोध किया गया कि वह पुलिस अधीक्षक सिरमौर स्थित नाहन से समन्व स्थापित कर वार्ता उपरान्त आगामी बैठक में सूचित करेंगें।	

Joint Commissioner cum SDM Nahan

Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan (H.P.)

		5. बिजली विभाग द्वारा मन्दिर परिसर त्रिलोकपुर का गत वर्ष गलत बिल जारी किया गया था जिसके त्रृटि निवारण हेतु कई बार पत्राचार किया गया किन्तु यह राशि जुर्माने सहित बढकर पांच लाख रु कर दी गई है। उक्त समस्या के निवारण बारे अधीशासी अभियंता विद्युत से चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त मद बारे माननीय विधायक महोदय द्वारा बिजली विभाग के प्रतिनिधि को पूछा गया कि क्या वास्तव में अधिक खपत हुई जिसके कारण बिजली का बिल बहुत अधिक आ गया अथवा कोई तकनीकी कारण है। बिजली विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि बिजली खपत उपभोक्ता का दायित्व है व कैपेस्टर के खराब होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। उक्त मद पर चर्चा उपरान्त आयुक्त मन्दिर को अनुरोध किया गया कि वह अधीक्षण अभियंता विद्युत सिरमौर स्थित नाहन से इस बारे वार्ता उपरान्त आगामी कार्यवाही करेंगें। 6. प्रधान ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के द्वारा त्रिलोकपुर ग्राम वासियों हेतु 24 घण्टे अम्ब्युलेंस सुविधा के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि मन्दिर न्यास की वैन इस आशय हेतु हर समय उपलब्ध रहेगी जो कि जिला मुख्यालय व आस पास के पंजीकृत चिकित्सालयों तक रोगी को तुरन्त आवश्यक राहत हेतु ले जाएगी।	
4	अन्य	1. मन्दिर गर्भ गृह में प्रवेश के दौरान मोबाईल का प्रयोग व विडियोग्राफी पूर्णतः निषेध है किन्तु पुजा करने वाले भगत द्वारा विडियोग्राफी व मोबाईल गर्भ गृह में ले जाया जा रहा है और गर्भ गृह की फोटो व विडियो वायरल किया जा रहा है जो कि आपत्तिजनक है। इस बारे बैठक में उपस्थित प्राधिकृत भगत परिवार की ओर से न्यासी श्री राजेश गुप्ता द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा किसी को प्राधिकृत नही किया गया है यदि कोई भगत पूजा के दौरान मोबाईल व विडियोग्राफी	मन्दिर अधिकारी

Joint Commissioner cum SDM Nahan

Joint Commissioner (Temple) cum-SDM Nahan (H.P.)

		करता है तो उसे न्यास रोकने हेतु स्वतन्त्र है। समस्त न्यासियों द्वारा निर्णय लिया गया कि पुजा के समय एक ही व्यक्ति भगत परिवार की ओर से गर्भ गृह मे प्रवेश करेगा व कोई भी विडियोग्राफी व मोबाईल लेजाना पूर्णतः वर्जित होगा। मुख्य मन्दिर में तैनात गृह रक्षक इस निर्णय की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करेगा । संयुक्त आयुक्त मन्दिर के द्वारा प्रस्तावित किया गया कि मुख्य मन्दिर में आरती का समय निर्धारित करने की आवश्यक्ता है चुंकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को आरती के समय का पता नही चल पाता। चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री राजेश गुप्ता, भगत परिवार द्वारा मन्दिर प्रभारी एवम् सहायक अभियंता के साथ अन्तरिम बैठक कर आगामी सात दिनों के भीतर सर्दी व गर्मी हेतु आरती समय तालिका तय कर सूचित की जाए। गैर सरकारी न्यासियों के परामर्श अनुसार ललिता माता मन्दिर में पेयजल आपूर्ति की लाईन रिस्टोर की जानी अति आवश्यक है जिस बारे संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई कि न्यास इस बारे अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय विधायक महोदय द्वारा त्रिभवानी मन्दिर में भी पेयजल आपूर्ति हेतु सहायक अभियंता जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए जो कि वांछित कार्य का प्राकलन तैयार कर आगामी कार्य अविलम्ब करवाएं। गैर सरकारी न्यासियों के परामर्श व माननीय विधायक महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि त्रिलोकपुर स्थित स्वागत द्वार के समीप बरसाती खड्ड से के कारण न्यास के डियुटि मैजि. भवन, स्वागत द्वार तथा नए भण्डारा शैड को खतरा है अतः प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा

Joint Commissioner cum SDM Nahan

Joint Commissioner (Temple). cum-SDM Nahan (H.P.)

		स्थानीय भू स्वामियों से समन्वय स्थापित किया जाए ताकि सुरक्षा के लिए केट निर्माण कार्य न्यास की ओर से करवाया जा सके। माननीय विधायक महोदय द्वारा परामर्श दिया गया कि न्यास के कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक त्रैमासिक आधार पर की जानी चाहिए जिसे सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई। सहायक अभियंता न्यास की सूचना अनुसार पशुपालन विभाग की नव निर्मित डिस्पेंसरी में शिफ्ट करने हेतु चर्चा की गई व उन्हे तुरन्त शिफ्ट करने हेतु पत्र लिखने के निर्देश दिए गए।	

माननीय विधायक महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों व न्यासियों का धन्यवाद किया व न्यास का आभार व्यक्त किया कि नाहन के प्राचीन मियां के श्री परशुराम मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु न्यास द्वारा जो सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया वह सराहनीय है। न्यास के कर्मचारियों का भी आवाहन् किया गया कि समस्त कर्मचारी भ्रातृभाव ,ईमानदारी व पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा सेवा भाव से माता की सेवा करें ताकि माता का आर्शीवाद बना रहे। यदि कोई भी कर्मचारी निर्धारित नियमों , गणना मापक संचालन प्रक्रिया /एस.ओ.पी. का उल्लंघन या उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवमानना करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। यदि त्रिलोकपुर के विकास हेतु न्यासियों के पास कोई सुझाव हों तो आगामी बैठक में अवश्य प्रस्तुत करें।

Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan (H.P.)

Joint Commissioner cum SDM Nahan

बैठक के अन्त में आयुक्त मन्दिर द्वारा समस्त न्यासियों व अधिकारियों का धन्यवाद सहित आभार व्यक्त किया व अनुरोध किया गया कि बैठक में लिए गए निर्णयों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाए व जिन मामलों को मुख्य आयुक्त मन्दिर को भिजवाया जाना है उसे अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित किया जाए।

(प्रियंका वर्मा)भा.प्र.से.
उपायुक्त सिरमौर एवम् आयुक्त
मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर ।

क्रमांक–स.आ. / त्रि.म.न्यास / वार्षिकबैठक–20.07.2026 1684 दिनांक 25/04/2026

प्रतिलिपि सेवा में,

1.मुख्य आयुक्त मन्दिर भाषा, कला एवम् संस्कृति विभाग स्थित शिमला, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2.निदेशक एवम् अतिरिक्त मुख्य आयुक्त मन्दिर, भाषा, कला एवम् संस्कृति विभाग शिमला को सूचनार्थ प्रेषित।
3.एस.डी.एम.नाहन एवम् संयुक्त आयुक्त मन्दिर व समस्त न्यासियों व अधिकारियों को सूचनार्थ व यथा निर्णय अनुसार अनुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
4.तहसीलदार नाहन एवं मन्दिर अधिकारी को सूचनार्थ व अनुपालनार्थ प्रेषित।
5.सहायक अभियंता मन्दिर न्यास तथा सहायक प्रबन्धक,लेखा को अनुपालनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त सिरमौर एवम् आयुक्त
मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर।

Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan (H.P.)

Joint Commissioner cum SDM Nahan